



ISSN: 3049-2017

IJMH 2025; 2(6): 46-51

© 2025 IJMH

www.themultijournal.com

Received: 25-11-2025

Accepted: 01-12-2025

Publish : 03-12-2025

सुकृति दीक्षित

शोधार्थी (संस्कृत विभाग),

डी.जी.पी.जी. कॉलेज, कानपुर

प्रो. आशारानी पाण्डेय

संस्कृत विभाग प्रभारी,

डी. जी. पी.जी. कॉलेज,

सिविल लाइन्स, कानपुर

याज्ञवल्क्य स्मृति में दण्ड विधान और भारतीय न्याय संहिता:**एक तुलनात्मक अध्ययन****सुकृति दीक्षित, प्रो. आशारानी पाण्डेय**

परिचय: ' धर्मो हि दण्डरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ' । याज्ञवल्क्य स्मृति (1/354)याज्ञवल्क्य स्मृति हिन्दू धर्मशास्त्र की एक महत्वपूर्ण स्मृति है, जो धर्म और कानून से संबंधित है। इसे अपने तरह की सबसे अच्छी एवं व्यवस्थित रचना माना जाता है। इसकी विषय-निरूपण-पद्धति अत्यंत सुगुणित है। इसपर विरचित मिताक्षरा टीका हिंदू धर्मशास्त्र के विषय में भारतीय न्यायालयों में प्रमाण मानी जाती रही है। इस स्मृति में आचरण, व्यवहार और प्रायश्चित के तीन अलग-अलग भाग हैं। दूसरी ओर, भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लेती है और भारत में आपराधिक अपराधों को परिभाषित और दंडित करती है। यह 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गई है। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय प्रदान करना है। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से असम तक पूरे देश में एक ही न्याय व्यवस्था लागू हो। ये दोनों ही ग्रंथ अपने-अपने ऐतिहासिक संदर्भों में मूलभूत कानूनी ढांचे के रूप में कार्य करते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति ने प्राचीन भारत में धर्म और सामाजिक व्यवस्था पर जोर देते हुए एक व्यापक कानूनी और सामाजिक संहिता प्रदान की, जबकि भारतीय न्याय संहिता स्वतंत्र भारत के लिए आधुनिक समकक्ष है, जो न्याय पर ध्यान केंद्रित करती है और समकालीन मूल्यों को दर्शाती है। मिताक्षरा की महत्वपूर्ण भूमिका याज्ञवल्क्य स्मृति के लिए और भारतीय दंड संहिता का भारतीय न्याय संहिता द्वारा प्रतिस्थापन इन दोनों की संबंधित प्रभावशीलता को दर्शाता है। भारतीय न्याय संहिता का उद्देश्य पूरे भारत में एक एकीकृत न्याय प्रणाली स्थापित करना है, जो स्मृति कानूनों के संभावित स्थानीयकृत अनुप्रयोग के विपरीत है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णित दण्ड विधान और भारतीय न्याय संहिता के दंड प्रावधानों की तुलना करना है। यह तुलना दोनों कानूनी प्रणालियों की समानताओं, अंतरों और ऐतिहासिक विकास को समझने में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त, यह प्राचीन भारतीय कानूनी विचारों के आधुनिक भारतीय कानून पर प्रभाव का विश्लेषण करेगा और आधुनिक भारतीय न्याय प्रणाली के संदर्भ में याज्ञवल्क्य स्मृति के दण्ड विधान की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करेगा। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक संहिताओं तक कानूनी विचारों के विकास को समझना न्याय प्रणालियों के विकास और ऐतिहासिक कानूनी सिद्धांतों की स्थायी प्रासंगिकता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह समाजों द्वारा व्यवहार को विनियमित करने और व्यवस्था बनाए रखने के तरीकों में परिवर्तनों और निरंतरताओं की सराहना करने में भी मदद करता है।

याज्ञवल्क्य स्मृति में दण्ड विधान:

याज्ञवल्क्य स्मृति में दंड के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें अपराध की गंभीरता और अपराधी की सामाजिक स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाता था।

“ वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्विदण्डं तदनन्तरम्

तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम् ॥- (मनुस्मृति 8 /129, याज्ञवल्क्य स्मृति 1/367, बृहस्पति स्मृति- उद्धृत धर्मकोश व्य ० का० पृष्ठ ०592)

Correspondence:**सुकृति दीक्षित**

शोधार्थी (संस्कृत विभाग),

डी.जी.पी.जी. कॉलेज, कानपुर

वाक्दण्ड और धिग्दण्ड दंड के सबसे कम गंभीर रूप थे। इनमें किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा या संपत्ति का नुकसान शामिल नहीं था। मनुस्मृति जैसे अन्य धर्मशास्त्रों में भी इनका उल्लेख मिलता है। वाक्दण्ड में केवल चेतावनी देना शामिल था, जबकि धिग्दण्ड चेतावनी से अधिक मजबूत अस्वीकृति का भाव व्यक्त करता था। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई अच्छा व्यक्ति पहली बार अपराध करता था, तो उसे धिग्दण्ड दिया जा सकता था। याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति जैसे अन्य धर्मशास्त्रों के अनुरूप, मामूली अपराधों या पहली बार अपराध करने वालों के लिए गैर-शारीरिक रूपों से शुरू होकर दंडों के एक पदानुक्रम को मान्यता देती थी। यह गलत काम के लिए श्रेणीबद्ध प्रतिक्रियाओं की प्रारंभिक समझ और कठोर उपायों का सहारा लेने से पहले सामाजिक सुधार पर जोर देती है।

धनदण्ड का प्रावधान उन मामलों में किया जाता था जहाँ किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुँचती थी। जुर्माने की राशि कई कारकों पर निर्भर करती थी, जिसमें अपराधी की जाति भी एक महत्वपूर्ण कारक थी। उदाहरण के लिए, एक शूद्र को नुकसान की आठ गुना राशि, एक वैश्य को सोलह गुना, एक क्षत्रिय को बत्तीस गुना और एक ब्राह्मण को चौंसठ गुना तक जुर्माना देना पड़ सकता था। कुछ विशेष परिस्थितियों में, ब्राह्मण को नुकसान की 100 गुना तक राशि भी जुर्माने के तौर पर देनी पड़ सकती थी। **(मनुस्मृति 8/338)** यदि क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जुर्माना भरने में असमर्थ होते थे, तो उन्हें शारीरिक श्रम करके इसकी भरपाई करने की अनुमति थी, जबकि ब्राह्मणों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे जुर्माने की राशि को किशतों में चुकाएँ। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार, राजा को अपराध करने पर एक भारी जुर्माना देना होता था, क्योंकि उसे अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श माना जाता था। इस विचार के अनुरूप, यदि किसी सामान्य व्यक्ति पर एक कर्षापण का जुर्माना लगाया जाता था, तो राजा को उसी अपराध के लिए

1,000 कर्षापण का जुर्माना देना पड़ता था। **कार्षापणस्तु विज्ञेयस्तामिकः कार्षिकः पणः मनुस्मृति 8/136** अपराधी की जाति के आधार पर जुर्माने का निर्धारण उस समय की सामाजिक पदानुक्रम को दर्शाता है और कानून के असमान अनुप्रयोग को उजागर करता है। यह आधुनिक कानूनी प्रणालियों के विपरीत है जो कानून के समक्ष समानता के लिए प्रयास करती हैं। राजा के लिए उच्च दंड की अवधारणा सत्ता में बैठे लोगों के लिए जवाबदेही के एक प्रारंभिक रूप को दर्शाती है, जो उनके नैतिक उदाहरण होने की भूमिका पर जोर देती है।

वधदण्ड, जिसमें कारावास, अंग-विच्छेद और मृत्युदंड जैसे शारीरिक दंड भी, याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रचलित थे। कारावास का उपयोग दंड के एक सामान्य रूप में किया जाता था। अंग-विच्छेद, जैसे कि चोर के हाथ काटना, अपराध को दोबारा होने से रोकने के उद्देश्य से किया जाता था। मनुस्मृति भी चोर के अपराध करने वाले अंग को काटने का सुझाव देती है ताकि वह दोबारा अपराध न कर सके

“ उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम् ।

चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च” (मनुस्मृति 8/125)

हस्ताङ्घ्रिलिङ्गनयनं जिह्वाकर्णौ च नासिका।
ग्रीवापादार्थसंदंशललाटोष्टगुदं कटिः ॥

(ब्रह्मस्पतिस्मृति, उद्धृत धर्मकोश, व्य.का., पृ०592 ॥)

इस प्रकार के दंड का निवारक और निरोधात्मक प्रभाव माना जाता था। मृत्युदंड भी दंड के एक रूप में प्रचलित था, विशेष रूप से गंभीर अपराधों के लिए। याज्ञवल्क्य स्मृति में महापातकों के अपराध में मृत्युदंड का विधान किया गया है। याज्ञवल्क्य का यह भी मानना था कि यदि कोई व्यक्ति अपने से उच्च जाति की पत्नी के साथ व्यभिचार करता है, तो उस दोषी पुरुष को मार देना चाहिए और ऐसी स्त्रियों के कान आदि काट लिए जाने चाहिए **(याज्ञवल्क्य स्मृति 2/286)**। याज्ञवल्क्य स्मृति में शारीरिक दंड का उद्देश्य अक्सर अक्षमता और निवारण था, जो आधुनिक प्रणालियों की तुलना में न्याय के प्रति अधिक प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है जो पुनर्वास को प्राथमिकता देते हैं। मनुस्मृति के साथ अंग-विच्छेद जैसे दंडों पर संगति प्राचीन भारत में दंड प्रथाओं की साझा समझ का सुझाव देती है।

अन्य दंडों में संपत्ति की जब्ती, सार्वजनिक अपमान और निर्वासन शामिल थे। संपत्ति की जब्ती और सार्वजनिक अपमान को बाद में दंड के प्रकारों में जोड़ा गया। निर्वासन का उपयोग मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के लिए किया जाता था: अवांछनीय व्यक्तियों से छुटकारा पाना और अपराधियों को दंडित करना। ब्राह्मणों द्वारा कुछ विशिष्ट अपराध करने पर ब्रांडिंग (दागना) की प्रथा भी थी, जैसे कि किसी अन्य ब्राह्मण की हत्या करना, व्यभिचार करना, सोना चुराना या शराब पीना। संपत्ति की जब्ती, सार्वजनिक अपमान, निर्वासन और ब्रांडिंग जैसे दंडों को शामिल करना सामाजिक और कानूनी मानदंडों को लागू करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों को दर्शाता है, जो न केवल शारीरिक शरीर बल्कि सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को भी लक्षित करता है। ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से कुछ अपराधों के लिए ब्रांडिंग, उच्चतम जाति के लिए सामाजिक निंदा के एक अद्वितीय रूप का सुझाव देता है।

याज्ञवल्क्य स्मृति में दंड के कई उद्देश्य थे। इसका मुख्य उद्देश्य अपराध को दोबारा होने से रोकना (निरोधात्मक) और अन्य लोगों को अपराध करने से हतोत्साहित करना (निवारक) था। महाभारत के अनुसार, लोग केवल राजा के दंड के डर से ही अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। दंड का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य अपराधियों के चरित्र और आचरण में सुधार करना (सुधारात्मक) था। याज्ञवल्क्य के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म से भटक जाता है, तो उसे दंडित करके सही रास्ते पर लाना चाहिए **स्वधर्माञ्जलितात्राजा विनीय स्थापयेत्पथि । (याज्ञवल्क्य स्मृति 1/363)**। कुछ सिद्धांतों में प्रतिशोध की भावना भी निहित थी, जैसे कि **"आँख के बदले आँख"** का सिद्धांत (गौतम धर्मसूत्र -2/3/1)। याज्ञवल्क्य स्मृति की दंड प्रणाली का उद्देश्य अक्षमता, निवारण, पुनर्वास और प्रतिशोध सहित उद्देश्यों का एक संयोजन था। धर्म पर जोर और कानून के डर को वैध व्यवहार के लिए प्रेरक के रूप में देखना प्राचीन भारतीय विचार में कानून, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था की परस्पर संबद्धता को उजागर करता है।

याज्ञवल्क्य स्मृति में विभिन्न अपराधों के लिए विशिष्ट दंडों के कई उदाहरण मिलते हैं। व्यभिचार के लिए कठोर दंड निर्धारित थे, जो अपराधी की जाति के आधार पर भिन्न होते थे। यदि कोई पुरुष उच्च जाति की महिला के साथ व्यभिचार करता था, तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था, जबकि महिलाओं के कान आदि काट लिए जाते थे (याज्ञवल्क्य स्मृति 2/286)। यदि कोई महिला निम्न जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करती थी, तो उसे कुत्तों से नुचवा दिया जाता था और उस पुरुष को भी मार दिया जाता था (गौतमधर्मसूत्र 3/5/14,15, मनुस्मृति 8/371)। चोरी जैसे अपराधों को रोकने के लिए चोर के अंगों को काट देने का विचार था। याज्ञवल्क्य ने विशेष रूप से चोरी जैसे अपराधों को रोकने के लिए चोर के अंगों को काटने का सुझाव दिया था (याज्ञवल्क्य स्मृति 2/274)। गुरु, माता-पिता या शासक के बारे में बुरा बोलने या ब्राह्मण के खाना बनाने की जगह को गंदा करने जैसे अपराधों के लिए जीभ काटने जैसे दंड थे। झूठ बोलने, चोरी करने, धोखा देने या नियमों का पालन न करने जैसे छोटे अपराधों के लिए मारना, कोड़े मारना, पीटना या आग से दागना जैसे शारीरिक दंड दिए जाते थे। ब्राह्मणों द्वारा कुछ विशिष्ट अपराध करने पर ब्रांडिंग का प्रावधान था, जैसे कि किसी ब्राह्मण की हत्या करना, व्यभिचार करना, सोना चुराना या शराब पीना। अपराधों और उनके दंडों के विशिष्ट उदाहरण सामाजिक पदानुक्रम और नैतिक व्यवस्था बनाए रखने पर एक मजबूत जोर डालते हैं। व्यभिचार और श्रेष्ठों के प्रति अनादर जैसे अपराधों के लिए दंड विशेष रूप से कठोर थे, जिसमें अक्सर शारीरिक विकृति या मृत्यु शामिल होती थी, जो इन सामाजिक मानदंडों पर दिए गए महत्व को उजागर करती है। जाति के आधार पर विभेदीकरण कानून के असमान अनुप्रयोग को और रेखांकित करता है।

याज्ञवल्क्य स्मृति में दंड निर्धारण में जाति का महत्वपूर्ण प्रभाव था। जुर्माने की राशि अपराधी की जाति के अनुसार अलग-अलग होती थी; शूद्र को नुकसान की आठ गुना, वैश्य को सोलह गुना, क्षत्रिय को बत्तीस गुना और ब्राह्मण को चौंसठ गुना तक जुर्माना देना पड़ सकता था। कुछ मामलों में ब्राह्मण को 100 गुना तक जुर्माना हो सकता था (मनुस्मृति 8/337,338)। दंड की गंभीरता भी जाति पर निर्भर करती थी; उच्च जातियों को अधिक उदारता और निम्न जातियों को कठोर दंड मिलते थे। याज्ञवल्क्य स्मृति में दंड की गंभीरता का निर्धारण करने में जाति ने एक केंद्रीय और भेदभावपूर्ण भूमिका निभाई, जो एक ऐसी कानूनी प्रणाली को इंगित करती है जो समानता के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी। यह आधुनिक भारतीय कानून से एक मौलिक और नैतिक रूप से महत्वपूर्ण अंतर है, जो जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

भारतीय न्याय संहिता में दंड के प्रावधान:

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में विभिन्न अपराधों के लिए दंड के विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, जो आधुनिक न्याय प्रणाली के सिद्धांतों पर आधारित हैं।

कारावास, जिसमें सादा और कठोर कारावास शामिल हैं, भारतीय न्याय संहिता में दंड का एक प्रमुख रूप है। विभिन्न अपराधों की गंभीरता के अनुसार अलग-अलग अवधियों के कारावास का प्रावधान है। कुछ अपराधों में आजीवन कारावास का अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास है। कुछ विशिष्ट मामलों में कारावास कठोर प्रकृति का हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता में कारावास दंड का एक प्राथमिक रूप बना हुआ है, जिसकी अवधि और गंभीरता अपराध की प्रकृति के आधार पर भिन्न होती है। आजीवन कारावास की स्पष्ट परिभाषा के रूप में शेष प्राकृतिक जीवन कारावास इस दंड की गंभीरता को रेखांकित करता है। मृत्युदंड भारतीय न्याय संहिता में कुछ अत्यंत गंभीर अपराधों के लिए भी बरकरार रखा गया है। इनमें संगठित अपराध के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर, आतंकवाद और कुछ विशेष प्रकार की हत्याएँ शामिल हैं, जिनमें माँब लिंगिंग भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता के तहत जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड को बरकरार रखा गया है, जो प्राचीन काल से इस गंभीर दंड के रूप की निरंतरता को दर्शाता है, हालांकि अब इसके संभावित औचित्य और अनुप्रयोग अलग-अलग हैं, जो अब राज्य, राष्ट्रीय सुरक्षा और अत्यधिक हिंसा के खिलाफ अपराधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

जुर्माना भारतीय न्याय संहिता में दंड का एक अन्य महत्वपूर्ण रूप है। कई अपराधों के लिए जुर्माने का प्रावधान है, जिसे कारावास के साथ या उसके बिना भी लगाया जा सकता है। कुछ अपराधों में जुर्माने की न्यूनतम राशि भी निर्धारित है, जैसे कि संगठित अपराध के लिए 5 लाख रुपये। यह भी उल्लेखनीय है कि कई अपराधों में जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है। आधुनिक संहिता में जुर्माना दंड का एक महत्वपूर्ण रूप बना हुआ है, जिसका उपयोग अक्सर कारावास के साथ किया जाता है। कुछ गंभीर अपराधों के लिए न्यूनतम जुर्माने की शुरुआत आर्थिक अपराधों के प्रति अधिक कठोर दृष्टिकोण और संभावित निवारक प्रभाव को इंगित करती है।

भारतीय न्याय संहिता में सामुदायिक सेवा को दंड के एक नए रूप में शामिल किया गया है। यह दंड कुछ सीमित अपराधों पर लागू होता है, जैसे नशे में व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक दुराचार और लोक सेवक द्वारा गैरकानूनी व्यापार। सामुदायिक सेवा का अर्थ है अदालत द्वारा दोषी को समुदाय के लाभ के लिए बिना किसी पारिश्रमिक के काम करने का आदेश देना। दंड के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत प्राचीन भारत में मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले शारीरिक और मौद्रिक दंडों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतीक है, जो कुछ कम गंभीर अपराधों के लिए बहाली न्याय और पुनर्वास पर आधुनिक जोर को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य समुदाय को लाभ पहुंचाना और संभावित रूप से जेल प्रणाली पर बोझ को कम करना है।

भारतीय न्याय संहिता में विभिन्न अपराधों के लिए विशिष्ट दंडों का अध्ययन करने से आधुनिक कानूनी प्रणाली की प्राथमिकताओं का पता चलता है। संगठित अपराध में शामिल होने या प्रयास करने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, खासकर यदि इसके परिणामस्वरूप

किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है; अन्यथा, इसके लिए 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम 5 लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित है। आतंकवाद में शामिल होने या प्रयास करने पर भी मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना का प्रावधान है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है; अन्यथा, इसके लिए 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया जा सकता है। कुछ विशिष्ट आधारों पर पांच या अधिक लोगों द्वारा हत्या या गंभीर चोट पहुँचाने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड (मॉब लिंग) का प्रावधान है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के लिए शेष प्राकृतिक जीवन या मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा शामिल है। शादी, नौकरी या पदोन्नति का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना भी अपराध माना गया है, जिसके लिए तीन साल तक की कैद हो सकती है। देशद्रोह के अपराध को संहिता से हटा दिया गया है, लेकिन भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों के लिए सात साल तक की कैद और जुर्माना का प्रावधान है। लापरवाही से मौत होने पर पांच साल तक की कैद और जुर्माना का प्रावधान है, जिसमें चिकित्सा लापरवाही के लिए दो साल तक की कैद और जुर्माना, और लापरवाही से वाहन चलाने से मौत होने पर दस साल तक की कैद और जुर्माना शामिल है। चोरी, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात आदि जैसे संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए भी दंड का प्रावधान है, जिसमें कुछ मामलों में सजा बढ़ा दी गई है, जैसे कि बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग करने पर छह महीने की न्यूनतम सजा। धर्म से संबंधित अपराधों के लिए भी दंड का प्रावधान है, जैसे कि धार्मिक पूजा स्थलों को नुकसान पहुँचाना या अपवित्र करना (दो साल तक की कैद), धार्मिक सभाओं में व्यवधान डालना (एक साल तक की कैद) और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना (एक साल तक की कैद)। भारतीय न्याय संहिता संगठित अपराध और आतंकवाद जैसी आधुनिक चुनौतियों का कठोर दंडों के साथ समाधान करती है, जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है। यह महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष जोर देती है, जिसमें यौन अपराधों के लिए गंभीर दंड हैं। मॉब लिंग और झूठे वादों के आधार पर यौन संबंध जैसे विशिष्ट अपराधों को शामिल करना विकसित हो रही सामाजिक चिंताओं को दर्शाता है। लापरवाही से होने वाली मौतों से संबंधित प्रावधान, जिसमें चिकित्सा चिकित्सकों और लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए विशिष्ट धाराएं शामिल हैं, जवाबदेही के प्रति एक सूक्ष्म दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हैं।

भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं, बच्चों, राज्य के विरुद्ध अपराधों और संपत्ति के विरुद्ध अपराधों आदि के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को प्राथमिकता दी गई है और उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास शामिल हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रावधानों को एक अलग अध्याय में रखा गया है। राज्य की सुरक्षा और एकता को खतरे में डालने वाले

अपराधों के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिसमें देशद्रोह से संबंधित नए प्रावधान शामिल हैं। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों को भी विस्तार से परिभाषित और दंडित किया गया है, जिसमें चोरी, जबरन वसूली, डकैती, आपराधिक दुर्विनियोग और धोखाधड़ी शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता महिलाओं और बच्चों जैसे कमजोर समूहों के खिलाफ अपराधों के साथ-साथ राज्य की सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराधों को स्पष्ट प्राथमिकता देती है। इन अपराधों का विशिष्ट वर्गीकरण और समर्पित अध्यायों या अनुभागों का प्रावधान आधुनिक कानूनी ढांचे में इन मुद्दों के महत्व को उजागर करता है।

याज्ञवल्क्य स्मृति और भारतीय न्याय संहिता के दंड प्रावधानों के बीच समानताएँ और अंतर:

याज्ञवल्क्य स्मृति और भारतीय न्याय संहिता के दंड प्रावधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने से दोनों प्रणालियों में कुछ समानताएँ और महत्वपूर्ण अंतर सामने आते हैं।

अपराधों की कुछ बुनियादी श्रेणियों में समानताएँ देखी जा सकती हैं, जैसे चोरी और हत्या। दोनों ही विधियों में चोरी और हत्या जैसे अपराधों को मान्यता दी गई है, हालांकि उनके लिए निर्धारित दंड और दंड देने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। दोनों ही प्रणालियों में इन अपराधों के लिए गंभीर दंड का प्रावधान है। चोरी और हत्या जैसे कुछ अपराधों की मूलभूत अवधारणाएँ दोनों प्रणालियों में मौजूद हैं, जो इन अपराधों की समाज के लिए हानिकारक के रूप में सार्वभौमिक समझ को दर्शाती हैं, लेकिन उनकी परिभाषाओं की बारीकियाँ और निर्धारित दंड समय के साथ सामाजिक मूल्यों और कानूनी दर्शन में बदलाव से काफी विकसित हुए हैं। दोनों में गंभीर दंड की उपस्थिति इन अपराधों के लिए एक सुसंगत सामाजिक चिंता को इंगित करती है।

दंड के प्रकारों में महत्वपूर्ण अंतर मौजूद हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में अंग-विच्छेद, ब्रांडिंग और सार्वजनिक अपमान जैसे शारीरिक दंडों का प्रावधान था, जो भारतीय न्याय संहिता में अनुपस्थित हैं। आधुनिक कानून शारीरिक दंड को क्रूर और असामान्य मानता है। इसके विपरीत, भारतीय न्याय संहिता में सामुदायिक सेवा जैसे नए प्रकार के दंड शामिल हैं जो याज्ञवल्क्य स्मृति में नहीं थे। आधुनिक संहिता में शारीरिक दंड के स्थान पर मुख्य रूप से कारावास और जुर्माने (और सामुदायिक सेवा की शुरुआत) पर जोर देना न्याय के प्रति अधिक मानवीय और सुधारात्मक दृष्टिकोण की ओर बदलाव को दर्शाता है, जो क्रूर और असामान्य सजा की निंदा करने वाले आधुनिक मानवाधिकार मानकों के अनुरूप है।

दंड निर्धारण के सिद्धांतों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में दंड का निर्धारण करते समय जाति एक महत्वपूर्ण कारक थी, जबकि भारतीय न्याय संहिता जाति के आधार पर किसी भी भेदभाव को समाप्त करती है और कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय संविधान भी धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। भारतीय न्याय संहिता में सजा में जाति-आधारित भेदभाव का

उन्मूलन एक अधिक समतावादी कानूनी प्रणाली की ओर एक मौलिक और नैतिक रूप से अनिवार्य बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारतीय संविधान में निहित न्याय और समानता के आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप है।

न्याय प्रशासन और दंड के उद्देश्यों के दृष्टिकोण में भी उल्लेखनीय विकास हुआ है। याज्ञवल्क्य स्मृति में न्याय प्रशासन राजा और ब्राह्मणों पर केंद्रित था, और दंड का उद्देश्य मुख्य रूप से सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना था। इसके विपरीत, भारतीय न्याय संहिता में न्याय प्रशासन एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा किया जाता है, और दंड के उद्देश्यों में सुधार, निवारण और पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा शामिल है। आधुनिक कानून त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा भी निर्धारित करता है। सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने वाली राजशाही न्याय प्रशासन से लेकर सुधार और पीड़ित अधिकारों सहित दंड के व्यापक उद्देश्यों के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा शासित प्रणाली तक का विकास लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विकास और न्याय की अधिक व्यापक समझ को दर्शाता है। आधुनिक कानून में समय पर न्याय पर जोर न्यायिक प्रणाली पर दक्षता और बोझ को कम करने की चिंता को भी उजागर करता है।

याज्ञवल्क्य स्मृति के दण्ड विधान का भारतीय न्याय संहिता पर प्रभाव :

भारतीय न्याय संहिता, हालांकि एक आधुनिक विधान है, लेकिन इसका ऐतिहासिक विकास प्राचीन भारतीय कानूनी परंपराओं से प्रभावित रहा है, जिसमें याज्ञवल्क्य स्मृति भी शामिल है। भारतीय कानूनी प्रणाली का विकास प्राचीन धर्मशास्त्रों और स्मृतियों से प्रभावित रहा है, जिसमें याज्ञवल्क्य स्मृति भी शामिल है। प्राचीन काल में धर्म को कानून के रूप में माना जाता था। कुछ बुनियादी कानूनी अवधारणाएँ और अपराधों की श्रेणियाँ प्राचीन ग्रंथों से आधुनिक कानून में चली आई हैं। जबकि भारतीय न्याय संहिता भारतीय आपराधिक कानून के एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण का प्रतिनिधित्व करती है, यह कानूनी विचार और अभ्यास के एक लंबे इतिहास पर निर्मित है जिसमें याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में पाए जाने वाले सिद्धांत और अवधारणाएँ शामिल हैं, जो भारत में अपराध और दंड की मूलभूत समझ में योगदान करते हैं।

मृत्युदंड और जुर्माने जैसी कुछ प्रकार की सजाएँ दोनों प्रणालियों में मौजूद हैं, हालांकि उनकी प्रयोज्यता और कार्यान्वयन के तरीके भिन्न हो सकते हैं। न्याय के कुछ बुनियादी सिद्धांत, जैसे अपराध के लिए सजा का प्रावधान, दोनों में मौजूद हैं। हालांकि, जाति आधारित भेदभाव और शारीरिक दंड जैसे कई प्राचीन प्रावधान आधुनिक कानून में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं। आधुनिक कानून मानवाधिकारों और संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता देता है। भारतीय न्याय संहिता पर याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रभाव विशिष्ट दंडों को सीधे अपनाने की तुलना में न्याय के अंतर्निहित सिद्धांतों और अपराधों की व्यापक श्रेणियों में अधिक स्पष्ट है, खासकर वे जो आधुनिक मानवाधिकार मानकों और भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के साथ असंगत हैं।

दंड के उद्देश्य, जैसे निवारण और सुधार, की अवधारणाएँ प्राचीन भारतीय कानूनी विचारों में भी मौजूद थीं और आधुनिक कानून को प्रभावित कर सकती हैं। धर्म और नैतिकता की अवधारणाएँ प्राचीन

कानून में महत्वपूर्ण थीं और उन्होंने न्याय प्रशासन के कुछ पहलुओं को आकार दिया होगा, हालांकि आधुनिक कानून धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर अधिक आधारित है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करता है। दंड के दार्शनिक और नैतिक आधार, जैसे निवारण और सुधार के लक्ष्य, की एक ऐतिहासिक वंशावली है जिसे याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे प्राचीन कानूनी ग्रंथों से पता लगाया जा सकता है, भले ही कानूनी प्रणाली धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों और अधिक अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर विकसित हुई हो।

तालिका 1: याज्ञवल्क्य स्मृति और भारतीय न्याय संहिता में विशिष्ट अपराधों के लिए दंड की तुलना

अपराध का नाम	याज्ञवल्क्य स्मृति में निर्धारित दंड	भारतीय न्याय संहिता में निर्धारित दंड	समानताएँ	अंतर
चोरी	अंग-विच्छेद का सुझाव, जुर्माना (जाति के आधार पर भिन्न)	कारावास, जुर्माना	जुर्माना दोनों में दंड का एक रूप है।	याज्ञवल्क्य स्मृति में शारीरिक दंड (अंग-विच्छेद) का प्रावधान था, जो आधुनिक कानून में अनुपस्थित है। जाति के आधार पर जुर्माने में अंतर था, जो आधुनिक कानून में नहीं है।
व्यभिचार	उच्च जाति की महिला के साथ व्यभिचार करने पर पुरुष को मृत्युदंड, स्त्री के कान आदि काटना; निम्न जाति की महिला के साथ व्यभिचार पर जुर्माना	शारीरिक, नौकरी आदि का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने पर तीन साल तक की कैद	दोनों विधियों में यौन अनैतिकता को अपराध माना गया है।	याज्ञवल्क्य स्मृति में दंड अधिक कठोर और लिंग तथा जाति पर आधारित था। आधुनिक कानून में सहमति और घोषाघट्टी पर अधिक ध्यान दिया गया है।
हत्या	मृत्युदंड (महापातकों के लिए)	मृत्युदंड, आजीवन कारावास	मृत्युदंड दोनों में गंभीर अपराध के लिए दंड का एक रूप है।	आधुनिक कानून में आजीवन कारावास भी एक प्रमुख दंड है और मृत्युदंड का प्रयोग सीमित मामलों में होता है।
मानहानि	धिग्दण्ड (चेतावनी से अधिक मजबूत अस्वीकृति)	एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों	दोनों विधियों में प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों को दंडनीय माना गया है।	याज्ञवल्क्य स्मृति में दंड का स्वरूप अधिक सामाजिक निंदा पर आधारित था, जबकि आधुनिक कानून में कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
संगठित अपराध	उल्लेख नहीं	मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना	कोई सीधी समानता नहीं।	संगठित अपराध एक आधुनिक अवधारणा है जिसका उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में नहीं मिलता है।

निष्कर्ष:

याज्ञवल्क्य स्मृति का दण्ड विधान ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह प्राचीन भारतीय समाज की कानूनी और सामाजिक संरचना को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, जाति आधारित भेदभाव और कठोर शारीरिक दंड जैसे इसके कई प्रावधान आधुनिक मानवाधिकार मानकों और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं। आधुनिक भारतीय न्याय प्रणाली कानून के समक्ष समानता, निष्पक्षता और मानवीय गरिमा के

सिद्धांतों पर आधारित है, जो प्राचीन दंड विधान से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है। भारतीय न्याय संहिता का प्राथमिक उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, न कि केवल दंडित करना। जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति भारत में कानूनी विचार के विकास को समझने के लिए मूल्यवान ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करती है, इसकी दंड संहिता, अपनी भेदभावपूर्ण प्रथाओं और कठोर शारीरिक दंडों के साथ, आधुनिक भारतीय न्याय प्रणाली के लिए काफी हद तक अप्रासंगिक है, जो समानता, निष्पक्षता, मानवाधिकारों और मात्र दंड के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित करने के सिद्धांतों पर स्थापित है।

याज्ञवल्क्य स्मृति में न्याय प्रशासन राजा और ब्राह्मणों पर केंद्रित था, और दंड का मुख्य उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना था। इसके विपरीत, भारतीय न्याय संहिता में न्याय प्रशासन एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा किया जाता है, और दंड के उद्देश्यों में सुधार, निवारण और पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा शामिल है। आधुनिक कानून का लक्ष्य त्वरित और निष्पक्ष समाधान प्रदान करना है। सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने वाली राजशाही न्याय प्रशासन से लेकर सुधार, निवारण और पीड़ित अधिकारों सहित दंड के व्यापक उद्देश्यों के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा शासित प्रणाली तक का परिवर्तन व्यक्तिगत अधिकारों को सुनिश्चित करने और न्याय की अधिक व्यापक समझ, जिसमें समय पर और निष्पक्ष समाधान का महत्व भी शामिल है, की दिशा में राज्य की भूमिका के विकास को दर्शाता है।

प्राचीन भारतीय कानूनी ग्रंथों का अध्ययन आधुनिक कानून के विकास और कानूनी सिद्धांतों की ऐतिहासिक जड़ों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय न्याय संहिता में कुछ आधुनिक अपराधों और दंडों को शामिल किया गया है जो प्राचीन विधियों में अनुपस्थित थे, यह दर्शाता है कि कानून को समय और समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार विकसित होना चाहिए। भविष्य के कानूनी सुधारों में प्राचीन कानूनी परंपराओं से सीखे गए नैतिक और दार्शनिक सिद्धांतों को शामिल किया जा सकता है, जबकि आधुनिक मूल्यों और मानवाधिकारों को बनाए रखा जा सकता है। याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे प्राचीन कानूनी ग्रंथों का अध्ययन कानून के ऐतिहासिक विकास और कुछ नैतिक और दार्शनिक सिद्धांतों की स्थायी प्रासंगिकता के बारे में मूल्यवान सबक प्रदान करता है, भले ही आधुनिक कानूनी प्रणालियाँ समकालीन चुनौतियों, मूल्यों और मानवाधिकारों और न्याय की अधिक समझ के अनुकूल हों।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. आयंगर, रंगस्वामी (1941), बृहस्पति स्मृति, गायकवाड़ ओरियन्टल सीरीज, बड़ौदा।
2. गैरोला, वाचस्पति (2015), कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी।
3. काणे, पी० वी० (1993), कात्यायन स्मृति, पूना।
4. वासुदेव, (1968), पराशर स्मृति, वाराणसी।
5. अयंगर, के० वी० रंगास्वामी (1941) बृहस्पति स्मृति, बड़ौदा।
6. मिश्र, वाचस्पति (1974), विवाद चिन्तामणि, गायकवाड़ ओरियन्टल सीरीज, बड़ौदा।

7. ठाकुर, चण्डेश्वर (1964), विवाद रत्नाकर, एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता।
8. मिश्र, वाचस्पति (1974), व्यवहार चिन्तामणि, डॉ० लूडो रोश द्वारा सम्पादित, चौखम्बा, वाराणसी।
9. देवभट्ट, (1918), व्यवहारकाण्ड, स्मृतिचन्द्रिका, गवर्नमेन्ट ओरियन्टल लाइब्रेरी, मैसूर।
10. चौहान, प्यारेलाल (1995), स्मृतिकालीन व्यवहार पद्धति, नाग प्रकाशन।
11. ठाकुर, लक्ष्मीदत्त (1965), प्रमुख स्मृतियों का अध्ययन, हिन्दी समिति, लखनऊ।
12. Rai O.P (2023), भारतीय न्याय संहिता, पुस्तक सदन प्रकाशन
13. दीक्षित, प्रभाकर, (1991), वाल्मीकि रामायण में राजनीति विचार।
14. दीक्षित, वी० आर० आर० (1993) दि मौर्यन पॉलिटी।
15. उपाध्याय, बलदेव (1970), संस्कृत वाङ्मय का वृहद इतिहास (खण्ड 10) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली।